रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 1990/ज्येष्ठ 1, 1912
No. 268] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 1990/JYAISTHA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मई, 1990

का.आ. 397 (अ):—केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप खंड (2) तारीख 12 जनवरी, 1990 में प्रकाशित का.आ. संख्या 140(अ) तारीख 12 फरवरी 1990 में :—

1. राजपत्र की प्रकाशन तारीख में शब्द "जनवरी" के स्थान पर शब्द "फरवरी" पढ़ा जाएगा ।

2. पैरा 2 की तीसरी पंक्ति में शब्द "पूर्तिवृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिधृत" पढ़ा जाएगा ।

3. पैरा 3 में,

(1) उप-पैरा (1) की पहली पंक्ति में शब्द "जन्" के स्थान पर शब्द "ऋजु" पढ़ा जाएगा ।

(2) उप-पैरा (2) के नीचे सारणी के कालम 2 के अंतर्गत, (1) प्रविष्टि संख्यांक (1) में शब्द "आर्हना" के स्थान पर शब्द "आर्द्रता" पढ़ा जाएगा ।

(3) प्रविष्टि संख्यांक (7) की तीसरी पंक्ति में शब्द "1 एम2 एम" के स्थान पर शब्द "1 एम.एम." पढ़ा जाएगा।

4. पैरा (3) के नीचे सारणी के कालम "उर्वरक का नाम" के अंतर्गत क्रम संख्यांक 2 के सामने कालम "विनिर्देश" के अंतर्गत प्रविष्टि संख्यांक 2(1) में शब्द "धार" के स्थान पर शब्द "भार" पढ़ा जाएगा।

[संख्या 1-4/89-उर्वरक विधि]
रवि मोहन सेठी, संयुक्त सचिव

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990